

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 4(10) पंरावि/पीपी/जीकेएन/2014-15


जयपुर, दिनांक 17 अगस्त, 2020

कार्यालय आदेश

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के विकास कार्यों की क्रियान्विति हेतु वर्तमान में ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2010 प्रभावी है। वर्तमान में लागू ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2010 के क्रम में समय-समय पर नवीन प्रावधान/संशोधित लागू प्रावधानों सहित ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं के उद्देश्य की प्राप्ति बाबत आवश्यक प्रावधानों को सम्मिलित कर नवीन ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2020 का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है:-


1. विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग- अध्यक्ष
2. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग।
3. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, महात्मा गांधी नरेगा।
5. स्टेट नोडल अधिकारी पीएमएवाई-जी ग्रामीण विकास विभाग।
6. अतिरिक्त निदेशक, जल ग्रहण एवं भूसंरक्षण विभाग।
7. अधीक्षण अभियंता, पंचायती राज विभाग।
8. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग।
9. अधीक्षण अभियंता, मनरेगा।
10. परियोजना अधिकारी (अभि.) ग्रामीण विकास विभाग- सदस्य सचिव।

उक्त कमेटी नवीन ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2020 का प्रारूप तैयार कर एक माह में प्रस्तुत करेगी।


(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंरावि।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि।
5. आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग।
6. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग।
7. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग।
8. वित्तीय सलाहकार, महात्मा गांधी नरेगा।
9. स्टेट नोडल अधिकारी पीएमएवाई-जी ग्रामीण विकास विभाग।
10. अतिरिक्त निदेशक, जल ग्रहण एवं भूसंरक्षण विभाग।
11. अधीक्षण अभियंता, पंचायती राज विभाग।
12. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग।
13. अधीक्षण अभियंता, मनरेगा।
14. परियोजना अधिकारी (अभि.) ग्रामीण विकास विभाग- सदस्य सचिव।


अधीक्षण अभियंता, ग्रावि